

22/04/25

पत्रावली पेश। प्राथीयाण^{अधिकार}
द्वारा एकपक्षीय बहस कर निवेदन
किया कि मौजा करावड़ी परगना
हल्का चौरा में प्राथीयाण की
पुश्तनी आराजी के खसरा नं. 249,
250, 258, 283, 357, 470 कुल



सहायक उपखण्ड अधिकारी, सांचीर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचीर)



रकबा 6.67 हेक्टर में जमापत्र
पुस्तिका इस हिसाब निहित है।
प्राचीण अधिकार द्वारा आदेशिका
दिनांक 10.02.25 के कर्णों को
दोहराते हुए मूल काट के निस्तारण
तक अपाधीगण के विकृत अस्थाई
निषेधाज्ञा जारी करमावे।
उम्मे प्राचीण अधिकार
के बहम व पत्रावली में संलग्न
दस्तावेजों का अवलोकन व मनन
किया। प्राचीण का प्राचीन प्रपत्र
दृष्ट्या, सुविधा का संतुलन, अपाधी
ज्ञान के तीनों बिंदु पर में हो
स्वीकार किया जाता है।

- आदेश -

अतः मौजा करावडी परिवार हल्का
चौरा के खसरा नं. 249, 250, 258
283, 357, 470 कुल रकबा 6.67
में प्राचीण के पत्र में व अपाधीगण
के विकृत मूल काट के निस्तारण
तक उस अमर की अस्थाई
निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि
अपाधीगण राजस्व रेकॉर्ड की मूल
काट के निस्तारण तक यथास्मिति
बनाये रखेंगे। पत्रावली कैमल
शुमार होकर नंबर ले कम लेटर
दाखिल करवाये।

(प्र)
सहायक अधिकारी, सांख्यिक
(उपखण्ड अधिकारी, सांख्यिक)